

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-36/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

विभागीय पत्रांक-371(2) दिनांक-05.03.2024 द्वारा डा० मो० सोहेल अंजुम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, बांका के प्रभार रहित अवधि दिनांक-06.10.2021 से 18.11.2021 को विनियमित किया गया है।

इस क्रम में डा० अंजुम के प्रभार रहित अवधि दिनांक-02.10.2021 से 05.10.2021 तक को पारगमन काल के रूप में विनियमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-36/2024- 723(2) पटना, दिनांक 9/5/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका/कोषागार पदाधिकारी, बांका/डा० मो० सोहेल अंजुम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, बांका/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
2